

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 15, 1981/पौष 25, 1902
No. 24] NEW DELHI, THURSDAY, JANURARY 15, 1981/PAUSA 25, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के
रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1981

आवेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का० अ० 29(अ) --सं० ई०(सी०) ओ०/1977/एएम (193) --आयात-निर्यात (नियंत्रण),
अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1977 में आगे संशोधन करने के लिए
निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है अर्थात् --

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 1981 की संज्ञा दी जाए।
2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 के भाग 'ख' की अनुसूची-1 में क्रम सं० 70(13)
के बाद निम्नलिखित का जोड़ा जाएगा --

70(14)--सभी प्रकार की पोशाकें अर्थात् कोटे से भिन्न मर्दे जो कोटा देशों को निर्यात की जाती हैं और वे सभी मर्दे जो कोटे से भिन्न देशों को निर्यात की जाती हैं।

3. निर्यात (निर्यात) आदेश, 1977 में खुले सामान्य लाइसेंस 3 में निम्नलिखित को क्रम सं० 42-क के बाव हस प्रकार जोड़ा जाएगा :--

1	2	3	4
47ख सभी प्रकार की पोशाकें अर्थात् बी० 70(14) कोटे से भिन्न मर्दे जो कोटा देशों को निर्यात की जाती हैं और वे सभी मर्दे जो कोटे से भिन्न देशों को निर्यात की जाती हैं।		परिधान निर्यात मन्त्रालय द्वारा पान नदान बिल पर पुष्टीकरण करने पर सभी स्वीकृत गलिय स्त्रियों के लिए निर्यात अनुमति होगी।	

[मि० सं० 2/1/81/ई०]

मणिनारायण स्वामी, मुख्य निर्यातक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 15th January, 1981

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 29(E).—No. E (C) O/ 1977/AM(193).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Fourth Amendment Order, 1981.

2. In Part 'B' Schedule I to the Exports (Control) Order, 1977, the following shall be added after S. No. 70 (xiii) :

70 (xiv)—Garments, all types viz, non-quota items exported to quota countries and all items exported to non-quota countries.

3. In the Exports (Control) Order, 1977 in OGL-3 the following shall be added after S. No. 42A as under :—

1	2	3	4
42 B	Garments, all types viz., non-quota items exported to quota countries and all items exported to non-quota countries.	B70 (xiv)	Export will be allowed to all permissible destinations by endorsement on shipping bills by the Apparel Export Promotion Council.

[File No. 2/1/81/EL]

MANI NARAYAN SWAMI, Chief Controller of Imports & Exports